शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 23 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 1 – 8 जून 2026 मूल्य पांच रूपये

पूर्व रेरा चेयरमैन और वकील पर दर्ज हुई एफआईआर से प्रशासनिक हल्कों में हलचल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक और कानूनी गलियारों में उस समय हलचल तेज हो गई जब राज्य के पूर्व मुख्य सचिव संजय गुप्ता की शिकायत पर पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व रेरा चेयरमैन श्रीकांत बाल्दी तथा हाईकोर्ट के अधिवक्ता विनय शर्मा के खिलाफ अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर ली गई। दोनों मामलों में आरोपों का केंद्र मुख्य सचिव की कार्यशैली, भूमि खरीद और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर लगाये गये गंभीर आरोप हैं, जिन्हें संजय गुप्ता ने झूठा, दुर्भावनापूर्ण और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है।

शिमला के ईस्ट पुलिस थाना में दर्ज मामलों ने अब केवल व्यक्तिगत विवाद का स्वरूप नहीं रखा है, बल्कि यह मामला प्रदेश की नौकरशाही, प्रशासनिक जवाबदेही और सार्वजनिक मंचों पर लगाये जाने वाले आरोपों की वैधता को लेकर भी चर्चा का विषय बन गया है। खास बात यह है कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनमें एक प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और दूसरा हाईकोर्ट का अधिवक्ता है। ऐसे में मामला सामान्य कानूनी विवाद से कहीं अधिक महत्व रखता है।

पूर्व मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि पूर्व रेरा चेयरमैन श्रीकांत बाल्दी ने प्रेस बयान जारी कर उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। शिकायत के अनुसार इन आरोपों में पद के दुरुपयोग, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय लेने, विशेष परियोजनाओं को लाभ पहुंचाने तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने जैसे आरोप शामिल थे। पूर्व मुख्य सचिव का कहना है कि इन आरोपों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और इन्हें जानबूझकर सार्वजनिक किया गया ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि प्रेस बयान को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया, जिससे आम जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता और ईमानदारी पर सवाल खड़े करने का प्रयास हुआ। पूर्व मुख्य सचिव का दावा है कि उनके खिलाफ लगाये गये आरोप न केवल व्यक्तिगत स्तर पर मानहानिकारक हैं, बल्कि राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक पद की संस्थागत गरिमा को भी प्रभावित करते हैं।

दूसरी ओर, अधिवक्ता विनय शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आरोप है कि उन्होंने भूमि खरीद, आय के स्रोत और पद के दुरुपयोग से जुड़े गंभीर आरोप लगाये। पूर्व मुख्य सचिव का कहना है कि भूमि खरीद से संबंधित सभी जानकारियां नियमानुसार सरकार को उपलब्ध करवाई गई थीं तथा वित्तीय लेन-देन और स्वीकृतियों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। इसके बावजूद तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया गया और ऐसे आरोप लगाये गये जिनका उद्देश्य उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाना था।

पूर्व मुख्य सचिव ने अपनी शिकायतों में यह भी उल्लेख किया है कि उन्हें सरकार की ओर से सतर्कता स्वीकृति (विजिलेंस क्लीयरेंस) और इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट प्राप्त है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ लगाये गये आरोप तथ्यों के विपरीत हैं और संबंधित व्यक्तियों ने उपलब्ध रिकॉर्ड की अनदेखी करते हुए जानबूझकर भ्रामक जानकारी सार्वजनिक की।

इन दोनों मामलों में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब शिकायतों में लगाये गये आरोपों, संबंधित दस्तावेजों, प्रेस बयानों और अन्य साक्ष्यों की जांच करेगी। जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि आरोपों के समर्थन में क्या तथ्य उपलब्ध हैं और क्या शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप कानूनी कसौटी पर खरे उतरते हैं।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इन एफआईआर को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक पक्ष इसे मुख्य सचिव की प्रतिष्ठा और संस्थागत गरिमा की रक्षा के लिए उठाया गया कदम मान रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे प्रशासनिक विवाद के कानूनी मोर्चे पर पहुंचने के रूप में देख रहा है। हालांकि दोनों मामलों में अंतिम स्थिति जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।

इतना तय है कि प्रदेश की नौकरशाही से जुड़े इस हाई-प्रोफाइल विवाद ने प्रशासनिक व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है। राज्य के दो वरिष्ठ सार्वजनिक व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज इन एफआईआर ने आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को और अधिक संवेदनशील तथा चर्चित बना दिया है।

35 दिन चली हिमाचल विधानसभा, 70 फीसदी से अधिक बजट बिना चर्चा के पास

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने वर्ष 2025 में कुल 35 दिन बैठक की। यह संख्या विधानसभा नियमों में तय न्यूनतम बैठक दिनों के बराबर है। यह जानकारी पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की वार्षिक रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल विधानसभा ने इस दौरान 21 विधेयक (बिल) पारित किए, लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा बिल एक ही दिन में मंजूर हो गये और बजट का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बिना चर्चा के पारित कर दिया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 में देश की सभी राज्य विधानसभाओं का औसत बैठक समय 24 दिन रहा, जबकि हिमाचल विधानसभा 35 दिन चली। ओडिशा विधानसभा सबसे ज्यादा 43 दिन और नागालैंड विधानसभा सबसे कम सात दिन चली। हिमाचल विधानसभा की एक बैठक औसतन पांच घंटे तक चली।

हिमाचल विधानसभा ने वर्ष 2025 में 21 बिल पास किये। इनमें से करीब 57 प्रतिशत बिल ऐसे थे जिन्हें सदन में पेश करने के एक दिन के भीतर ही मंजूरी मिल गई। केवल चार प्रतिशत बिलों को ही विस्तार से जांच और चर्चा के लिए विधानसभा समितियों के पास भेजा गया। विशेषज्ञों का मानना है कि समितियों में बिलों की गहराई से समीक्षा होती है, इसलिए अधिक बिलों को समिति के पास भेजना कानूनों को बेहतर बनाने में मदद करता है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश और झारखंड में करीब आधे बिलों को राज्यपाल की मंजूरी मिलने में तीन महीने से अधिक समय लगा। यानी विधानसभा से पास होने के बाद भी कई कानूनों को लागू होने में काफी समय लगा।

वर्ष 2025 में हिमाचल प्रदेश ने कई महत्वपूर्ण कानून बनाये। इनमें संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए नया कानून शामिल है। इस कानून में गंभीर अपराधों के लिए कड़ी सजा, यहां तक कि आजीवन कारावास का भी प्रावधान किया गया है। राज्य ने सार्वजनिक संपत्तियों और सुविधाओं जैसे सड़क, रास्ते और नहरों को नुकसान पहुंचाने या उनमें अवैध बदलाव रोकने के लिए भी कानून बनाया।

इसके अलावा पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर पंचायतों के अधिकार बढ़ाए गए और ग्राम

शेष पृष्ठ 8 पर.....

विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यपाल ने दिखाई मिनी मैराथन को हरी झंडी

शिमला/शैल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने रिज मैदान, शिमला से स्वच्छ पर्यावरण एवं नशामुक्त जीवन विषय

पर आयोजित मिनी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम का आयोजन हिमाचल प्रदेश पुलिस, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा जनगणना निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

मैराथन में हिमाचल प्रदेश के अलावा पड़ोसी राज्यों के लोगों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम का उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना था।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी स्वच्छ हवा, प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरणीय संपदा के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरोहर को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास की कीमत पर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण को जीवन का हिस्सा बनाना होगा।

राज्यपाल ने नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं को नशे से बचाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों की सराहना करते हुए कहा कि यदि सभी लोग मिलकर प्रयास करें तो हिमाचल को पूर्ण रूप से नशामुक्त बनाया जा सकता है।

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने प्रतिभागियों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नशामुक्त जीवन की शपथ भी दिलाई। उन्होंने पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और 'हरित हिमाचल' तथा 'चिट्टा-मुक्त हिमाचल' अभियान दीवार पर हस्ताक्षर कर इन अभियानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

हिमाचल–उत्तराखंड के बीच पर्यटन और सड़क संपर्क बढ़ाने पर जोर

शिमला/शैल। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आज लोक भवन में राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता

से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़े विभिन्न पारस्परिक हितों के विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में विशेष रूप से दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने और स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों के लिए यात्रा को अधिक सुगम एवं सुरक्षित बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही हिमालयी राज्य हैं और यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक, सांस्कृतिक और ईको-टूरिज्म स्थलों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मजबूत आधारभूत ढांचे का विकास आवश्यक है। बेहतर सड़क नेटवर्क न केवल पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा।

उन्होंने कहा कि सड़क संपर्क मजबूत होने से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और दोनों राज्यों के बीच सामाजिक एवं आर्थिक संबंध और सुदृढ़ होंगे। इससे व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी नई गति मिलेगी।

बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की साझा सांस्कृतिक विरासत पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने पर्यटन, संस्कृति और आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया। राज्यपाल ने उत्तराखंड सरकार द्वारा क्षेत्रीय विकास और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पड़ोसी हिमालयी राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग से क्षेत्र के समग्र विकास, पर्यटन संवर्धन और आर्थिक समृद्धि को नई दिशा मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के नियमन को मंजूरी

शिमला/शैल। ग्रामीण क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण गतिविधियों को

नियंत्रित करने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की तीसरी बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों के नियमन के लिए तैयार किए गए मॉडल प्लान को स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण तथा नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी उपस्थित रहे। यह उप-समिति विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही निर्माण गतिविधियों के नियमन और योजनाबद्ध विकास के लिए गठित की गई है।

बैठक के दौरान मॉडल प्लान के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। उप-समिति ने इसे अंतिम रूप देते हुए मंजूरी प्रदान की और निर्णय लिया कि अब इसे आगामी मंत्रिमंडल बैठक में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस मॉडल प्लान के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को व्यवस्थित और नियोजित ढंग से संचालित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही अनियंत्रित निर्माण, पर्यावरणीय चुनौतियों और बुनियादी सुविधाओं पर बढ़ते दबाव को भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकेगा।

बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव सी. पालरासू, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (टीसीपी) के निदेशक हेमिस नेगी तथा अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज केवल शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

'विकसित भारत 2047' 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक मिशन:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने 'भारत 2047: विकसित भारत का संकल्प' विषय पर आयोजित वार्षिक

व्याख्यान में कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा जब गांव, किसान, युवा और महिलाएं विकास यात्रा में सक्रिय भागीदार बनें। उन्होंने कहा कि मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आधुनिक कृषि, कौशल विकास और उद्यमिता आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला हैं।

राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक रूप से समृद्ध राष्ट्र बनना नहीं, बल्कि एक समावेशी, आत्मनिर्भर, नवाचार-प्रेरित और मानवीय मूल्यों पर आधारित विकसित देश बनना है। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित भारत 2047' केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक राष्ट्रीय मिशन है।

उन्होंने देश की डिजिटल तकनीक, स्टार्ट-अप, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय समावेशन के क्षेत्रों में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का डिजिटल मॉडल आज विश्व के लिए उदाहरण बन चुका है। साथ ही उन्होंने सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक मूल्यों को विकास के साथ समान महत्व देने पर बल दिया।

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने राधिका धीमान की पुस्तक 'पुराण पुरुष: सिक्ख के सूत्र' तथा अमरदीप सिंह की पुस्तक 'मन बुद्धि का विकास: सिक्खी के सूत्र' का विमोचन भी किया। इस अवसर पर पंचानद शोध संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृज किशोर कुठियाला सहित अनेक शिक्षाविद, शोधकर्ता और सामाजिक चिंतक उपस्थित रहे।

अनुपयोगी सरकारी भूमि का होगा सत्यापन, उपायुक्तों को दिए निर्देश

शिमला/शैल। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक में प्रदेशभर की सरकारी भूमि के

सत्यापन और रिकॉर्ड अपडेट करने पर जोर दिया गया। बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण तथा नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी भी उपस्थित रहे, जबकि सभी जिलों के उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

बैठक में विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध अनुपयोगी (अनयूटिलाइज्ड) भूमि की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि उद्योग विभाग के पास 849 हेक्टेयर, पर्यटन विभाग के पास 160 हेक्टेयर, तकनीकी शिक्षा विभाग के पास 70 हेक्टेयर, शिक्षा विभाग के पास 50 हेक्टेयर, पंचायती राज विभाग के पास 20 हेक्टेयर तथा परिवहन विभाग के पास 11 हेक्टेयर भूमि अनुपयोगी पड़ी है।

उप-समिति ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि भूमि संबंधी लंबित प्रविष्टियों को जल्द दर्ज किया जाए और उनकी सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके लिए सभी विभागों को भूमि का विस्तृत चार्ट उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि वे अपने रिकॉर्ड का मिलान कर भूमि का सत्यापन सुनिश्चित कर सकें।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को आवंटित भूमि का पूरा ब्यौरा भी एकत्र किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों और एजेंसियों से स्प्रेडशीट के माध्यम से जानकारी मांगी जाएगी, जिससे राज्यभर की सरकारी भूमि का सटीक डाटा तैयार किया जा सके।

बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विभाग के सचिव आशीष सिंहमार, आयुष सचिव ए. शायनामोल, पशुपालन सचिव रितेश चौहान, सहकारिता सचिव अमरजीत सिंह, अतिरिक्त सचिव राजस्व बलवान चंद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

मुख्यमंत्री ने चार नई एंबुलेंसों को दिखाई हरी झंडी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित ओक ओवर से चार नई एंबुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एंबुलेंस एचडीएफसी बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) योजना के तहत उपलब्ध करवाई गई हैं।

इन एंबुलेंसों को सुजानपुर, भोरंज, नादौन और देहरा क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एंबुलेंस जरूरतमंद मरीजों को त्वरित चिकित्सा सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

इस अवसर पर धनी राम शांडिल सहित कई जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और दूरदराज क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

शिमला में 246 करोड़ रुपये की भूमिगत यूटिलिटी डक्ट परियोजना का शुभारंभ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला में

246 करोड़ रुपये लागत की भूमिगत यूटिलिटी डक्ट परियोजना की आधारशिला रखी। परियोजना का उद्देश्य शहर की उपयोगिता सेवाओं का आधुनिकीकरण, शहरी सौंदर्यीकरण और नागरिक सुविधाओं में सुधार करना है।

परियोजना के तहत छोटा शिमला–विली पार्क–चौड़ा मैदान, लोक भवन–ओक ओवर तथा शेर–ए–पंजाब से सीटीओ चौक वाया लोअर बाजार तक एकीकृत भूमिगत यूटिलिटी डक्ट नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसके पूरा होने से बिजली, दूरसंचार और अन्य सेवाओं की व्यवस्थित स्थापना एवं रखरखाव संभव होगा तथा सड़कों की बार–बार खुदाई की आवश्यकता कम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक, टिकाऊ और नागरिक–केंद्रित शहरी अवसंरचना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि ओवरहेड तारों को भूमिगत किए जाने से शिमला की सुंदरता बढ़ेगी, सेवाओं की आपूर्ति बेहतर होगी और रखरखाव कार्यों के दौरान होने वाली असुविधाएं कम होंगी।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना शिमला के कायाकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे शहर की विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को संरक्षित रखते हुए पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारी हिमपात और खराब मौसम के दौरान बिजली एवं दूरसंचार सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने चिनार वृक्षारोपण अभियान के प्रथम चरण का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने ओक ओवर शिमला में

चिनार वृक्षारोपण अभियान के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने चिनार का पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। घनी छाया, आकर्षक स्वरूप और पर्यावरणीय महत्व के लिए प्रसिद्ध चिनार का वृक्ष शिमला की जलवायु के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस पहल का उद्देश्य हरित क्षेत्र का विस्तार करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वानिकी, पर्यावरण प्रबंधन और ईको–टूरिज्म से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें वन विभाग के कर्मचारियों के लिए तैयार फील्ड हैंडबुक 'वन बोध', प्रधान मुख्य अरण्यपाल डॉ. संजय सूद द्वारा लिखित 'एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट एंड रेगुलेशंस' तथा विभिन्न वन परियोजनाओं पर आधारित पुस्तकें शामिल हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के 75 ईको–टूरिज्म स्थलों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का भी लोकार्पण किया।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। युवाओं को राष्ट्र का भविष्य बताते हुए मुख्यमंत्री ने उनसे हरित और सतत भविष्य के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति के संरक्षण के बिना विकास की कल्पना संभव नहीं है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोर के विद्यार्थियों और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के बच्चों को पौधे भी वितरित किए।

आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में एक्स–रे और अल्ट्रासाउंड सुविधाएं जल्द शुरू

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश के

आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एक्स–रे और अल्ट्रासाउंड मशीनों की खरीद प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ये मशीनें जल्द ही स्वास्थ्य संस्थानों में स्थापित की जाएंगी, जिससे लोगों को अपने घर के नजदीक ही जांच सुविधाएं मिल सकेंगी।

हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीएमएससीएल) की उच्च स्तरीय खरीद समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं के शुरू होने से लोगों को एक्स–रे और अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए दूर–दराज के अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित कर रही है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक संस्थान बनाया जा रहा है, जबकि लाहौल–स्पीति और भरमौर में दो–दो संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं।

डॉ. शांडिल ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार 15 से 20 साल पुरानी मशीनों को चरणबद्ध तरीके से नई और आधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों और बुनियादी ढांचे के विकास पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। पिछले दो वर्षों में ही 1,110 करोड़ रुपये स्वास्थ्य ढांचे के विकास पर खर्च किए जा चुके हैं।

बैठक में सीटी स्कैन सेवाओं, उन्नत दवाइयों, मेडिकल उपकरणों, ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट, पैट स्कैन मशीनों, डिजिटल मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड मशीनों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने पर भी चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को सभी खरीद प्रक्रियाएं पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए।

एचपी शिवा परियोजना के दूसरे चरण में 586 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र चिन्हित करने के निर्देश

शिमला/शैल। जगत सिंह नेगी ने एचपी शिवा परियोजना के दूसरे चरण की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को 10 जून तक 586 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र की पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि परियोजना के पहले चरण में 3,083 हेक्टेयर क्षेत्र को अंतिम रूप दिया जा चुका है, जबकि दूसरे चरण में सात जिलों में लगभग 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया जाना है। बैठक में बताया गया कि कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना जिलों में अब तक 2,414 हेक्टेयर क्षेत्र का मूल्यांकन किया जा चुका है। मंत्री ने परियोजना कार्यों को निर्धारित समय–सीमा में पूरा करने पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने बागवानी विभाग को परियोजना की दैनिक निगरानी सुनिश्चित करने, ठेकेदारों की लापरवाही पर कारवाई करने तथा जल शक्ति विभाग और विद्युत बोर्ड को समय पर पानी और बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मंत्री ने चेतावनी दी कि 15 जून तक संतोषजनक प्रगति न होने पर खराब प्रदर्शन करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर उनके अनुबंध रद्द किए जाएंगे।

हिमाचल सरकार और यूएनडीपी में समझौता, 'सफाई मित्र योजना' का शुभारंभ

हिमाचल प्रदेश सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के बीच राज्य में जलवायु अनुकूल, समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की उपस्थिति में राज्य सरकार की ओर से सचिव सुशील सिंगला और यूएनडीपी की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव डॉ. एंजेला लुसिगी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौते के तहत परिपत्र अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकॉनोमी), अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा प्रबंधन कर्मियों के सामाजिक समावेशन, कचरा संग्रहण के लिए ई–वाहनों के उपयोग तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी विभिन्न विकास प्राथमिकताओं पर मिलकर काम किया जाएगा। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन और स्थानीय समुदायों के लिए सतत आजीविका के अवसर सृजित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साझेदारी वैश्विक अनुभवों और स्थानीय जरूरतों को जोड़कर हिमालयी क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी की रक्षा करने में मदद करेगी। इससे हरित रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य और सतत विकास के मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के असंगठित अपशिष्ट प्रबंधन कर्मियों के लिए 'सफाई मित्र योजना' का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सफाई और कचरा प्रबंधन से जुड़े कर्मचारी स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह योजना उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई मित्र योजना के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन कर्मियों को बेहतर पहचान, सहयोग और अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की परिपत्र अर्थव्यवस्था की परिकल्पना में इन कर्मियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनके योगदान को सम्मान देना सरकार की प्राथमिकता है।

65–70 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों को अगले माह मिलेगा बकाया एरियर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि वेतन स्थगन संबंधी अधिसूचना अब केवल मुख्यमंत्री पर ही लागू रहेगी, जबकि अन्य कर्मचारियों के लिए इसे वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थगित वेतन की राशि अगले महीने पूर्ण वेतन के साथ जारी कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार की व्यावहारिक नीतियों और वित्तीय सुधारों के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार की नीतियों में सुधार और भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर अंकुश लगाने से वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने 65 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सभी पेंशनभोगियों के लंबित पेंशन एरियर अगले महीने जारी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके लिए आवश्यक धनराशि राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी।

कर्मचारियों के लंबित एरियर और महंगाई भत्ते के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारी राज्य की रीढ़ हैं और उनकी सामाजिक एवं वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल कर कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपीएस लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य को मिलने वाली लगभग 1,200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता रोक दी, जिससे वित्तीय दबाव बढ़ा। इसके बावजूद राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों और लंबित देयताओं के समाधान के लिए सकारात्मक प्रयास कर रही है।

एंटी–चिट्टा जन आंदोलन में उमड़ा जनसैलाब

शिमला मैराथन में 8 हजार से अधिक लोगों ने लिया भाग

शिमला/शैल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला के रिज मैदान में आयोजित एंटी–चिट्टा एवं स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन–2026 में 8,000 से अधिक लोगों ने भाग लेकर नशामुक्त हिमाचल का संदेश दिया। हिमाचल प्रदेश पुलिस, पर्यावरण विभाग और जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली।

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने 10 किलोमीटर मिनी मैराथन और 3 किलोमीटर ड्रीम रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा प्रतिभागियों को एंटी–चिट्टा और स्वच्छ पर्यावरण की शपथ दिलाई। समापन समारोह में सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि चिट्टे के खिलाफ लड़ाई प्रदेश के युवाओं और भविष्य को सुरक्षित रखने की लड़ाई है तथा यह अभियान अब जन–जन का आंदोलन बन चुका है।

मुख्यमंत्री ने नशा तस्करी के खिलाफ कड़ी कारवाई, जागरूकता, पुनर्वास और जनभागीदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम के दौरान नशा विरोधी और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया तथा विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी प्रतिभागियों, विभागों और स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एंटी–चिट्टा अभियान अब नागरिकों द्वारा संचालित एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। कार्यक्रम का समापन 'चिट्टा को ना, जीवन को हां और नशे के खिलाफ दौड़ हिमाचल के लिए दौड़ के संदेश के साथ हुआ।

एक विनम्र तरीके से, आप दुनिया को हिला सकते हैं।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

घातक होगा युवाओं का बढ़ता असंतोष और अविश्वास

देश आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है, जहां राजनीतिक विमर्श, न्यायिक टिप्पणियां, शिक्षा व्यवस्था पर उठते सवाल और अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंताएं एक साथ सामने आ रही हैं। दिल्ली में तथाकथित 'कॉकरोच पार्टी' के प्रदर्शन से लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, नीट परीक्षा पेपर लीक विवाद, सीबीएसई की मूल्यांकन प्रणाली पर उठे प्रश्न और हाल ही में कुछ आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त 'आर्थिक सुनामी' की आशंकाएं केवल अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं। ये उस व्यापक असंतोष और अविश्वास की तस्वीर पेश करती हैं जो धीरे-धीरे देश के सामाजिक और संस्थागत ढांचे को प्रभावित कर रहा है।

किसी भी लोकतांत्रिक समाज की सबसे बड़ी पूंजी उसका युवा वर्ग होता है। लेकिन जब यही युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक, भर्ती घोटालों और मूल्यांकन विवादों का सामना करता है, तो उसके भीतर व्यवस्था के प्रति भरोसा कमजोर पड़ने लगता है। नीट परीक्षा विवाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया। लाखों विद्यार्थियों ने वर्षों की मेहनत की, लेकिन पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों ने पूरी प्रणाली की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा कर दिया।

इसी तरह परीक्षा बोर्डो की उत्तरपुस्तिका जांच प्रक्रिया पर उठते सवाल भी शिक्षा व्यवस्था की साख को प्रभावित करते हैं। जब छात्रों को लगता है कि उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा है, तब केवल अंक ही प्रभावित नहीं होते बल्कि उनके भविष्य और आत्मविश्वास पर भी असर पड़ता है। इन घटनाओं के बीच यदि सार्वजनिक विमर्श में युवाओं की तुलना अपमानजनक प्रतीकों से की जाती है या ऐसी टिप्पणियां चर्चा का विषय बनती हैं, तो समस्या और गहरी हो जाती है। युवा वर्ग को नकारात्मक उपमाओं से देखने के बजाय उनकी चिंताओं को समझना और समाधान खोजना अधिक आवश्यक है। आज का युवा केवल रोजगार नहीं चाहता, वह सम्मान, अवसर और निष्पक्ष व्यवस्था भी चाहता है।

कई आर्थिक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि रोजगार, उत्पादन और निवेश के बीच संतुलन नहीं बना तो आने वाले समय में आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है। देश की सबसे बड़ी चुनौती केवल आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाना नहीं है, बल्कि उस वृद्धि को रोजगार और अवसरों में बदलना है।

युवा मतदाता अब पहले की तुलना में अधिक जागरूक है। वह सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और जन आंदोलनों के माध्यम से अपनी आवाज उठा रहा है। यदि उसकी चिंताओं का समाधान नहीं हुआ तो राजनीतिक दलों को इसका खामियाजा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है।

भारत के पास विशाल युवा शक्ति, मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं और तेज़ी से विकसित होती अर्थव्यवस्था जैसी अनेक ताकतें हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सरकारें, न्यायिक संस्थाएं, शिक्षा बोर्ड और आर्थिक नीति निर्माता समय रहते इन संकेतों को समझें। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रियाओं में निष्पक्षता, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।

देश का भविष्य केवल आर्थिक आंकड़ों से तय नहीं होगा, बल्कि इस बात से तय होगा कि युवा पीढ़ी व्यवस्था पर कितना भरोसा करती है। यदि यह भरोसा मजबूत हुआ तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और आर्थिक शक्तियों में अपनी जगह मजबूत करेगा। लेकिन यदि युवाओं के प्रश्न अनुत्तरित रहे और संस्थाओं पर अविश्वास बढ़ता गया, तो वही ऊर्जा जो राष्ट्र निर्माण की ताकत बन सकती है, असंतोष और संघर्ष का कारण भी बन सकती है।

इसलिए आज का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि 'कॉकरोच पार्टी' का प्रदर्शन क्यों हुआ, बल्कि यह है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा क्यों हुई जिनमें युवाओं को अपनी आवाज इस तरह उठानी पड़ी। लोकतंत्र की असली परीक्षा इसी सवाल के उत्तर में छिपी हुई है।

लंबे जीवन और आरोग्य पर भारत के समग्र दृष्टिकोण को रेखांकित करती है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम 'स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग'

21 जून, 2026 को मनाए जाने वाले 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग' है। यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आरोग्य के संवर्द्धन के समग्र दृष्टिकोण के रूप में योग की विश्व भर में बढ़ती मान्यता को प्रतिबिंबित करती है। भारत के प्राचीन ज्ञान पर आधारित और विभिन्न महाद्वीपों में अपनाया गया योग स्वस्थ और सक्रिय जीवन के विश्वसनीय मार्ग के रूप में उभरा है। यह थीम जीवन-शक्ति, सौष्ठव और स्वतंत्रता के पोषण में योग की परिवर्तनकारी क्षमता को रेखांकित करती है। साथ ही यह निवारक स्वास्थ्यसेवा और संपूर्ण आरोग्य की नींव के रूप में योग की भूमिका पर भी बल देती है।

केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने इस थीम के महत्व के बारे में कहा, ''इस साल के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग' मौजूदा समय में अत्यंत प्रासंगिक है। बढ़ती जीवनआशा के बीच गरिमापूर्ण और स्वस्थ वृद्धावस्था की कला को सीखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारत की प्राचीन सभ्यता इसकी खूबसूरत मिसाल है जिसमें हमारे ऋषि और योगी योग की शक्ति और आध्यात्मिक अनुशासन के जरिए लंबा जीवन और जीवंत स्वास्थ्य प्राप्त करते थे।''

यह थीम लंबी उम्र के साथ ही लंबे स्वस्थ जीवन की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करती है। शारीरिक आसनों, प्राणायामों, ध्यान और चेतना के मेल से योग वृद्धावस्था की समूची प्रक्रिया के दौरान गतिशीलता, मानसिक आरोग्य और भावनात्मक दृढ़ता बरकरार रखने का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

बढ़ती वैज्ञानिक मान्यता

बढ़ती उम्र में स्वस्थ रहने के लिए योग की भूमिका पर विश्व भर में वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान तेजी से आकर्षित हो रहा है। 'पबमेड सेंट्रल' पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले दशक के दौरान 'वृद्धावस्था में योग' से संबंधित वैज्ञानिक प्रकाशनों में काफी वृद्धि देखी गई है।

जहां 2014 में इस विषय पर केवल 183 शोध पत्र प्रकाशित हुए थे, वहीं 2025 तक यह संख्या बढ़कर 1,207 प्रकाशनों तक पहुंच गई। साल 2020 में शोध का यह आंकड़ा 500 प्रकाशनों को पार कर गया था और तब से इसमें लगातार निरंतर वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि उम्र से जुड़ी शारीरिक और मानसिक चुनौतियों से निपटने में योग की भूमिका के प्रति वैज्ञानिकों की बढ़ती रुचि को दर्शाती है।

सामने आ रहे यह प्रमाण भारत की लंबे समय से चली आ रही पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में विश्वास जगाते हैं, जिसके अनुसार वृद्धावस्था में तंदुरुस्त रहने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें शरीर, मन और समाज, तीनों का स्वस्थ होना शामिल है।

बुजुर्गो से जुड़ी अर्थव्यवस्था

वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने पर दिए जा रहे इस ध्यान के साथ-साथ दुनिया भर में 'सिल्वर इकोनॉमी' (बुजुर्गो से जुड़ी अर्थव्यवस्था) भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस अर्थव्यवस्था में बुजुर्ग नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं। भारत में, बुजुर्गो पर केंद्रित इस अर्थव्यवस्था-जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं, आरोग्य से जुड़ी सेवाएं, पुनर्वास, सहयोगी जीवन-शैली, डिजिटल स्वास्थ्य और बुजुर्गो की देखभाल शामिल है। बुजुर्गो पर आधारित यह बाजार लगभग 73,000 करोड़ रुपये का है, आने वाले सालों में इस बाजार के बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ने की उम्मीद है।

दुनिया भर में 45 से 64 साल की उम्र के लोग एक प्रमुख उपभोक्ता वर्ग के रूप में उभर रहे हैं। यही वजह है कि बीमारियों से बचने के उपायों और सेहतमंद जीवनशैली की मांग लगातार बढ़ रही है। इस माहौल में, योग एक ऐसे सस्ते और आसान उपाय के रूप में सामने आ रहा है, जो कम खर्च में लोगों को वद्धावस्था में स्वस्थ और एक सक्रिय जीवन जीने में मदद करता है।

आयुष मंत्रालय की पहलकदमियां

आयुष मंत्रालय ने योग को वर्ष भर चलने वाली एक आरोग्य पद्धति के रूप में बढ़ावा देने और निवारक स्वास्थ्य देखभाल में इसकी भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाए किये हैं।

इनमें से एक है मंत्रालय का साक्ष्य-आधारित 'गैर-संक्रामक रोगों और लक्षित समूहों के लिए 10 योगासन का प्रोटोकॉल', जिसमें विशेष रूप से बुजुर्ग आबादी के लिए तैयार किया गया एक समर्पित प्रोटोकॉल शामिल है। यह प्रोटोकॉल उम्र के हिसाब से आसान योग अभ्यासों के जरिए बुजुर्गो के शरीर का लचीलापन, संतुलन, चलने-फिरने की क्षमता, सांस लेने की प्रक्रिया और मानसिक खुशहाली को बेहतर बनाने पर केंद्रित है।

मंत्रालय 'योग 365' नाम की एक नई पहल को भी बढ़ावा दे रहा है, ताकि लोग केवल साल में एक दिन 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' मनाने के बजाय हर रोज़ योग करने की आदत डालें। इस पहल का मक़सद तकनीक-आधारित प्लेटफॉर्म और घर पर ही सीखे जा सकने वाले आसान मॉडयूल के ज़रिए योग को सब तक पहुंचाना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योग को शामिल कर सकें।

एक और महत्वपूर्ण पहल, 'योग समावेश', यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योग के लाभ समाज के कमज़ोर और वंचित वर्गो तक पहुंचें। कुर्सी पर बैठकर किया जाने वाला योग, हल्के-फुल्के योगासन, मोहल्ले या कम्युनिटी के स्तर पर होने वाले सेहत योग सत्रों जैसे समावेशी कार्यक्रमों के माध्यम से, इस पहल का उद्देश्य बुजुर्गो की मदद करना है, ताकि वे दूसरों पर निर्भर न रहें, समाज में मेलजोल बढ़ा सकें और पूरी तरह सेहतमंद रह सकें।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह विषय बुजुर्गो की ज़रूरतों को पूरा करने के सरकारी प्रयासों को और मज़बूत बनाता है। सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन ('सेज') जैसी योजनाएं बुजुर्गो की देखभाल से जुड़े समाधानों में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्ट-अप की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही हैं।

जैसे-जैसे योग के फायदों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, वैसे-वैसे बुजुर्गो की देखभाल के क्षेत्र में काम करने वाले आरोग्य प्रोफेशनल्स, देखभाल करने वाले, डिजिटल स्वास्थ्य प्रदाताओं और सामाजिक संस्थाओं के लिए नए अवसर भी सामने आ रहे हैं। बुजुर्गो की सेहत और आरोग्य पर बढ़ते इस ज़ोर से आने वाले समय में ऐसे प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ेगी, जो बिना दवाओं के और वृद्धावस्था में पूरी तरह से स्वस्थ रहने में बुजुर्गो की मदद कर सकें।

स्वस्थ वृद्धावस्था की ओर एक समग्र मार्ग

'स्वस्थ वद्धावस्था के लिए योग' विषय एक सामयिक संदेश देता है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में बुजुर्गो की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। निवारक स्वास्थ्य देखभाल, सक्रिय जीवनशैली और समग्र कल्याण को बढ़ावा देकर, योग सभी आयु वर्गो में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का एक व्यावहारिक मार्ग प्रदान करता है।

जैसे-जैसे दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 मनाने की तैयारी कर रही है, यह विषय भारत की उस प्राचीन परंपरा को साझा करने की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराता है, जो स्वस्थ, सक्रिय और गरिमापूर्ण वृद्धावस्था में मदद करता है।

हिमाचल में नीली क्रांतिः मत्स्य क्षेत्र ने रोजगार और समृद्धि के खोले नए द्वार

तीन वर्षों में 972 करोड़ रुपये की आर्थिक गतिविधियां, 60,800 मीट्रिक टन मछली उत्पादन किया गया दर्ज

1,553 युवाओं को मिले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर

43 हजार से अधिक मछुआरों को बीमा और वित्तीय सुरक्षा का मिला लाभ

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिं सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश का मत्स्य क्षेत्र अभूतपूर्व प्रगति के दौर से गुजर रहा है। कभी सीमित आर्थिक गतिविधि के रूप में देखा जाने वाला यह क्षेत्र आज ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों, आधुनिक तकनीकों और मछुआरों के कल्याण के लिए उठाए गए ठोस कदमों ने मत्स्य क्षेत्र को नई पहचान प्रदान की है।

प्रदेश सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ मछुआरों और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि, आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास तथा सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश की ब्लू इकोनॉमी का निरंतर विस्तार हो रहा है।

राज्य सरकार की योजनाओं के फलस्वरूप जनवरी 2023 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में कुल 60,799.66 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन दर्ज किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 972.46 करोड़ रुपये रही।

वर्ष 2023-24 में जहां 17,721.64 मीट्रिक टन मछली उत्पादन दर्ज किया गया, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 19,019.83 मीट्रिक टन और 2025-26 में रिकॉर्ड 20,005.97 मीट्रिक टन उत्पादन दर्ज किया गया। यह सतत वृद्धि दर्शाती है कि मत्स्य क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लगातार महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है तथा हजारों परिवारों के लिए आय का स्थायी स्रोत बन कर उभरा है।

वर्तमान में मत्स्य क्षेत्र रोजगार और उद्यमिता का भी महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। वर्ष 2023 से अब तक विभिन्न मत्स्य विकास योजनाओं के माध्यम से कुल 1,553 रोजगार अवसर सृजित किए गए। वर्ष 2023-24 में 385, वर्ष 2024-25 में 539 तथा वर्ष 2025-26 में युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के 612 अवसर सृजित किए गए हैं।

बायोफ्लॉक तकनीक, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस), तालाब आधारित मत्स्य पालन तथा ट्राउट फार्मिंग जैसी आधुनिक पद्धतियों ने ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए द्वार खोले हैं। हैचरी, मत्स्य बीज उत्पादन, फीड मिलों तथा मछली विपणन के लिए आइस बॉक्स युक्त मोटरसाइकिलों और थ्री-व्हीलरों पर दिए जा रहे अनुदान से मत्स्य क्षेत्र को मजबूती मिली है।

जनवरी 2023 से मार्च 2026 के दौरान विभागीय ट्राउट फार्मों ने 235.16 लाख रुपये की 42.29 मीट्रिक टन ट्राउट का उत्पादन किया है। विभाग ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 338.16 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया है। इस अवधि में निजी ट्राउट किसानों ने लगभग 333.40 करोड़ रुपये की 5,000.87 मीट्रिक टन ट्राउट का उत्पादन किया है।

सरकार द्वारा जिला कुल्लू के पतलीकूहल में स्थापित कोल्ड वाटर आरएएस प्रणाली का संचालन किया जा रहा है, जिससे ट्राउट उत्पादन की प्रक्रिया और अधिक सुगम हुई है। इस तकनीक के माध्यम से ट्राउट तैयार करने में लगने वाला समय लगभग 14 महीने से घटकर 10 महीने रह गया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में वर्ष 2025-26 के दौरान हिमाचल के मत्स्य पालकों ने उत्तराखंड को 2.5 लाख आइड ओवा और 8.5 लाख रेनबो ट्राउट फाई उपलब्ध करवाई गई, जो राज्य की गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उत्पादन क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है।

मत्स्य पालन क्षेत्र हजारों परिवारों के लिए आजीविका का सशक्त स्रोत बनकर उभरा है। वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान 18,649 मछुआरों को जलाशय मत्स्य पालन के माध्यम से पूर्णकालिक स्वरोजगार प्राप्त हुआ। वर्ष 2023-24 में 6,022, वर्ष 2024-25 में 6,318 तथा वर्ष 2025-26 में 6,309 मछुआरों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए। इस अवधि में जलाशयों से 34.53 करोड़ रुपये की 2,246.26 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन दर्ज किया गया।

जलाशयों में मछली उत्पादन में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2023-24 में 566.03 मीट्रिक टन से बढ़कर 2025-26 में 818.02 मीट्रिक टन मछली उत्पादन दर्ज किया गया।

मत्स्य पालन क्षेत्र को विस्तार प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना प्रारंभ की। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणियों के लाभार्थियों को समान रूप से 80 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

वर्ष 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत 146 लाख रुपये की सब्सिडी वितरित की गई, जबकि 2025-26 में 48.57 लाख रुपये जारी किए गए। इस सहायता से 4.8963 हेक्टेयर क्षेत्र में नए मत्स्य तालाबों का निर्माण किया गया, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि हुई है।

राज्य सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को विस्तार प्रदान करने के साथ-साथ नवाचार, नई तकनीकों के उपयोग और मछुआरों के कल्याण की दिशा में भी अनेक कदम उठाए हैं। बायोफ्लॉक और आरएएस जैसी आधुनिक तकनीकों ने सीमित भूमि और जल संसाधनों वाले क्षेत्रों में भी मत्स्य पालन की संभावनाओं को बढ़ाया गया है। इसी क्रम में प्रदेश का पहला महाशीर संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत गोल्डन महाशीर के 40,000 से अधिक फिंगरलिंग पोंग जलाशय, गोबिंद सागर, पंडोह बांध तथा ब्यास नदी में डाले गए। सरकार के इस प्रयास के लिए मत्स्य विभाग को प्रतिष्ठित ''स्कॉच गोल्ड अवार्ड-2025'' से सम्मानित किया गया।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा अमूर कार्प, एएचआर जयन्ती तथा अमृत कतला जैसी उन्नत प्रजातियों का विकास किया जा रहा है, इनकी वृद्धि दर और प्रजनन क्षमता पारंपरिक प्रजातियों की तुलना में 20 से 25 प्रतिशत अधिक है।

मछुआरों और मत्स्य पालकों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सेविंग्स-कम-रिलीफ योजना के अंतर्गत 13,767 जलाशय मछुआरों को 619.52 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त, 42,000 से अधिक मछुआरों और मत्स्य पालकों को सामान्य दुर्घटना बीमा योजना के तहत सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाया गया। वहीं 1,786 लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा से जोड़कर संस्थागत ऋण तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की गई है।

राज्य सरकार ने जलाशयों में पकड़ी जाने वाली मछलियों पर लगने वाली रॉयल्टी को कम किया है। वर्ष 2025-26 में इसे 15 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत किया गया और वर्ष 2026-27 में इसे मात्र 1 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से छः हजार से अधिक जलाशय मछुआरों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश का मत्स्य क्षेत्र आज विकास की एक प्रेरक कहानी प्रस्तुत कर रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि, रोजगार सृजन, मछुआरों के कल्याण और जैव विविधता संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदम न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि हिमाचल प्रदेश को देश में नीली क्रांति के एक सफल मॉडल के रूप में भी स्थापित कर रहे हैं।

कांगड़ा पुलिस का 'ऑपरेशन नया सवेरा': अंतरराज्यीय चिट्टा तस्करी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार

शिमला। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा-मुक्त हिमाचली अभियान के तहत जिला कांगड़ा पुलिस ने ऑपरेशन नया सवेरा चलाकर एक संगठित अंतरराज्यीय हेरोइन (चिट्टा) तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। जांच में सामने आया कि नेटवर्क का संचालन जालंधर निवासी अभिषेक साहोता द्वारा किया जा रहा था, जिसने कांगड़ा सहित विभिन्न क्षेत्रों में चिट्टा आपूर्ति के लिए मजबूत वितरण तंत्र स्थापित कर रखा था।

पुलिस जांच में पता चला कि तस्कर मानव कूरियर, गुप्त ड्रॉप-प्वाइंट, गूगल मैप लोकेशन, वीडियो पुष्टि, क्यूआर-कोड भुगतान और विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से तस्करी और वित्तीय लेन-देन को अंजाम दे रहे थे। तकनीकी निगरानी और गोपनीय सूचनाओं के आधार पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में समन्वित छापेमारी कर एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज किए गए।

अभियान के दौरान कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा 167.18 ग्राम हेरोइन (चिट्टा), 18 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और एक मालवाहक वाहन बरामद किया गया। नेटवर्क से जुड़े कुल 23 मामले दर्ज किए गए हैं। आगे की जांच में नेटवर्क के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं तक पहुंचते हुए 5 जून 2026 को गौरव साहोता, हनी पुत्र सोमनाथ और हनी कुमार पुत्र ऋषि कुमार को गिरफ्तार किया गया। जांच में हनी कुमार को नेटवर्क का मुख्य आपूर्तिकर्ता पाया गया।

वित्तीय जांच में पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग 80 लाख रुपये के संदिग्ध लेन-देन का पता चला है, जिनमें जनवरी 2026 से अब तक करीब 39 लाख रुपये के लेन-देन शामिल हैं। पुलिस अवैध आय और संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करने की कार्रवाई भी कर रही है।

अभियान का एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू यह रहा कि जांच के दौरान 184 चिट्टा उपभोक्ताओं की पहचान की गई। जिला प्रशासन के सहयोग से इनके लिए परामर्श, नशामुक्ति उपचार, पुनर्वास और अनुवर्ती सहायता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाया जा सके।

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने प्रदेशवासियों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री या सेवन से संबंधित किसी भी सूचना को तुरंत डायल 112 या निकटतम पुलिस थाने में साझा करें। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। ऑपरेशन नया सवेरा को चिट्टा-मुक्त हिमाचल के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।

कोटगढ़ में उद्यमियों के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित

शिमला। उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोटगढ़ के थानेदार पंचायत में डिजिटल मार्केटिंग, जीईएम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल और एमएसई-सीडीपी योजना पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में 30 से अधिक स्थानीय उद्यमियों और एमएसएमई इकाइयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग, ऑनलाइन ब्रांड निर्माण, ग्राहक जुड़ाव और व्यवसाय विस्तार के आधुनिक तरीकों की जानकारी दी। साथ ही एमएसई-सीडीपी योजना के तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता और क्लस्टर विकास के अवसरों पर भी चर्चा की गई।

कार्यशाला में जीईएम पोर्टल पर पंजीकरण, उत्पाद सूचीकरण और सरकारी खरीद प्रक्रियाओं की जानकारी भी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम स्थानीय उद्यमियों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों से जोड़ने तथा क्षेत्र में उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होंगे।

रेशम कीट पालन से आत्मनिर्भर बनीं सरकाघाट की महिलाएं, मधु बनीं प्रेरणा

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए संचालित रेशम कीट पालन कार्यक्रम महिलाओं के लिए आय और आत्मनिर्भरता का नया माध्यम बन रहा है। मंडी जिले के सरकाघाट के सिंहारन गांव की मधु इस योजना की सफलता का उदाहरण बनकर उभरी हैं।

मधु ने रेशम विभाग के मार्गदर्शन और सरकारी सहायता से रेशम कीट पालन शुरू किया। वर्तमान में वे घर पर ही रेशम उत्पादन कर रही हैं और एक सीजन में लगभग 12 हजार रुपये तथा वर्ष में दो सीजन के माध्यम से 24 से 25 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं। उत्पादित रेशम का बाजार मूल्य 1,000 से 1,200 रुपये प्रति किलोग्राम तक मिल रहा है।

सरकार द्वारा उन्हें शहतूत के पौधे, रेशम सीड, रेयरिंग स्टैंड, प्लास्टिक ट्रे, नेट और रेशम कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। विभागीय अधिकारी समय-समय पर तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। मधु की सफलता से प्रेरित होकर क्षेत्र की 40 से 50 अन्य महिलाएं भी इस व्यवसाय से जुड़ चुकी हैं।

राजकीय रेशम केंद्र मौंही के अनुसार इस वर्ष क्षेत्र में लगभग 250 लोगों को रेशम सीड आवंटित किए गए हैं तथा 50 से 55 नए रेशम कक्ष बनाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि रेशम कीट पालन के माध्यम से एक उत्पादक सालाना 35 से 50 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर सकता है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।

पर्यावरण संरक्षण को बनाएं जीवनशैली का हिस्सा, चिट्टा माफिया को मिट्टी में मिला देंगे: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रिज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ हवा, पानी, जंगल और नदियां हमारी सबसे बड़ी धरोहर हैं और इनके संरक्षण की जिम्मेदारी सभी नागरिकों की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पूरे उत्तर भारत को स्वच्छ जल और शुद्ध वायु उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसे 'लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया' कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश हर वर्ष देश को लगभग 90 हजार करोड़ रुपये की पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन इसके बदले हिमाचल को कोई विशेष प्रतिफल नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की आगामी बैठक में राज्य सरकार इन मुद्दों को मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी।

उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने, जल संरक्षण अपनाने और प्लास्टिक के उपयोग से बचने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 और 2025 की भीषण प्राकृतिक आपदाओं ने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2030 तक प्रदेश में वन आवरण को 32 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और ग्रीन एडॉप्शन योजना के माध्यम से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हितों और अधिकारों की लड़ाई हर मंच पर मजबूती से लड़ रही है। उन्होंने किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। पर्यावरण संरक्षण के तहत राज्य में ई-वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है और जल्द ही हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 297 नई ई-बसें शामिल की जाएंगी। जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए दो बायोचार संयंत्र भी स्थापित किए जा रहे हैं।

नशे के खिलाफ अभियान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी दी कि चिट्टा माफिया को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि नशा तस्कर नहीं सुधरे तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब तक पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत 174 तस्करों को जेल भेजा गया है और 51 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं। नशे से जुड़े 123 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कारवाई की गई है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण और एंटी-चिट्टा अभियान की शपथ दिलाई तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को सम्मानित किया। इस दौरान ई-वाहनों की चाबियां सौंपी गई और जनगणना प्रचार वाहन को भी रवाना किया गया।

मुख्यमंत्री ने संजौली में बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला के संजौली में 3.18 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस स्टेडियम में खेल प्रतियोगिताओं के लिए खुला मैदान, ओपन हॉल, रसोईघर तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव शिमला के अंतर्गत आयोजित हिमाचल प्रदेश की पहली चिट्टा जागरूकता वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया। उन्होंने प्रतियोगिता की ट्रॉफी का अनावरण करते हुए विजेता टीम के लिए एक लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि देने की घोषणा की। इस अवसर पर राज्यभर से आई 13 टीमों के खिलाड़ियों ने मार्चपास्ट में भाग लिया और नशा निवारण की शपथ ली।

मुख्यमंत्री ने संजौली मैदान के विकास एवं सुधार के लिए एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की घोषणा की। इसके साथ ही क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने तथा संजौली होली मेले को जिला स्तरीय मेले का दर्जा देने की भी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है और इस संबंध में संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि बढ़ाई गई है तथा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति भी शीघ्र लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि शिमला के निकट घटासनी में 10 करोड़ रुपये की लागत से एक नए स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने खिलाड़ियों की डाइट मनी में वृद्धि की है। अब राज्य के भीतर प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रतिदिन 400 रुपये तथा राज्य से बाहर प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों को 500 रुपये प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 200 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा के लिए हवाई यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है।

इस अवसर पर हरीश जनारथा ने कहा कि संजौली मैदान क्षेत्र के सबसे पुराने खेल मैदानों में से एक है और इसके विकास की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और उन्हें नशे से दूर रखना मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। उन्होंने सभी प्रतिभागी टीमों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि शिमला में अन्य खेल मैदानों का विकास भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में नगर निगम शिमला के महापौर, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

मशोबरा में प्रदेश का पहला महिला नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र शुरू

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला के समीप मशोबरा में प्रदेश के पहले महिला नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र 'नव-जीवन' का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नशा, विशेषकर चिट्टा, सामाजिक और पारिवारिक संकट बन चुका है तथा सरकार इसके खिलाफ सख्त कारवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं के लिए इस विशेष केन्द्र में उपचार, परामर्श, पुनर्वास और पुनर्स्थापना की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि दूसरा नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में खोला जाएगा। सुक्खू ने कहा कि नशा पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता और तस्करों के खिलाफ कठोर कारवाई सरकार की प्राथमिकता है।

हिमाचल में 'सर्व सेफ फूड' परियोजना का विस्तार 1,000 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को मिलेगा प्रशिक्षण

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के खाद्य सुरक्षा विभाग, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया और नेस्ले इंडिया के सहयोग से राज्य में 'सर्व सेफ फूड' परियोजना का विस्तार किया गया है। इस पहल के तहत मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, ऊना और शिमला जिलों के 1,000 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस विस्तार के बाद हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षित स्ट्रीट फूड विक्रेताओं की कुल संख्या 4,500 से अधिक हो जाएगी। परियोजना के तहत विक्रेताओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षित खाद्य प्रबंधन, कचरा निपटान और उद्यमिता से जुड़ी जानकारी प्रदान की जाएगी, ताकि वे ग्राहकों को बेहतर और सुरक्षित खाद्य सेवाएं उपलब्ध करा सकें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और आतिथ्य के लिए देश-दुनिया में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य की स्ट्रीट फूड संस्कृति भी पर्यटन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे और बेहतर बनाने के लिए ऐसे प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने इस पहल के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया और नेस्ले इंडिया की सराहना की।

नेस्ले इंडिया में सस्टेनेबिलिटी एवं सामाजिक पहलों के प्रमुख कुँवर हिम्मत सिंह ने कहा कि कंपनी केवल अपने उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में खाद्य सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए भी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को व्यावहारिक जानकारी और कौशल प्रदान किए जाते हैं, जिससे उनके व्यवसाय की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ती है। वर्ष 2016 में शुरू की गई 'सर्व सेफ फूड' परियोजना के तहत अब तक देश के 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 1.20 लाख से अधिक स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य प्रथाओं को बढ़ावा देना तथा छोटे खाद्य कारोबारियों को सशक्त बनाना है।

जीआई टैग वाले उत्पादों को बाजार से जोड़ने पर नाबार्ड का जोर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने तथा कारीगरों और उत्पादकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से नाबार्ड के हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय (एचपीआरओ) ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में जीआई आधारित आजीविका संवर्धन, बाजार संपर्क, उत्पादक संस्थाओं के विकास और पंजीकरण के बाद जरूरी हस्तक्षेपों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए नाबार्ड एचपीआरओ के प्रभारी अधिकारी संदीप शर्मा ने कहा कि जीआई टैग केवल किसी उत्पाद की पहचान नहीं है, बल्कि यह पारंपरिक ज्ञान, स्थानीय संस्कृति और कारीगरों की मेहनत को संरक्षण देने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि इससे उत्पादकों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलती है।

नाबार्ड के उप महाप्रबंधक कुशल दीप ने कहा कि जीआई टैग मिलने के बाद उत्पादों को बेहतर ब्रांडिंग, गुणवत्ता और बाजार उपलब्ध कराना जरूरी है ताकि इसका सीधा लाभ उत्पादकों तक पहुंच सके। बैठक में हिमांशु बालियान ने जीआई पंजीकरण और इसके लाभों पर प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि जीआई टैग से उत्पादों को कानूनी संरक्षण, बेहतर बाजार, निर्यात के अवसर और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है।

बैठक में नाबार्ड की सहायता से जीआई पंजीकरण की प्रक्रिया में शामिल तीन उत्पादों हिमाचली रणसिंघा, हिमाचली वुड क्राफ्ट और हिमाचली गलीचा की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा जीआई टैग प्राप्त चंबा चप्पल को और मजबूत बनाने के लिए डिजाइन सुधार, उत्पाद विविधीकरण, ब्रांडिंग और बाजार विस्तार जैसे कदमों पर भी चर्चा हुई।

प्रस्तुति के दौरान कुल्लू शॉल, कांगड़ा चाय, चंबा रुमाल, किन्नौरी शॉल, कांगड़ा पेंटिंग, हिमाचली चुल्ली तेल, हिमाचली काला जीरा, लाहौली मोजे एवं दस्ताने तथा बासमती चावल जैसे जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संभावनाओं पर भी विचार किया गया।

बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि जीआई टैग प्राप्त करना केवल पहला कदम है। असली चुनौती इन उत्पादों को बाजार में मजबूत पहचान दिलाने और उत्पादकों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने की है। इसके लिए एयरपोर्ट, एचपीटीडीसी होटलों, मंदिरों, संग्रहालयों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, कॉरपोरेट गिफ्टिंग और विशेष जीआई प्रदर्शनियों के माध्यम से सालभर मांग बनाए रखने की रणनीति पर चर्चा की गई।

बैठक के अंत में सभी प्रतिभागियों ने इस बात पर सहमति जताई कि हिमाचल के जीआई उत्पादों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नाबार्ड, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, वित्तीय संस्थानों और उत्पादक समूहों के बीच बेहतर समन्वय और संयुक्त प्रयास जरूरी हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार धर्मशाला पहुंचे, चुनाव अधिकारियों से किया संवाद

शिमला/शैल। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार शुक्रवार को धर्मशाला पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के साथ संवाद कर चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और मतदाता-केंद्रित बनाने में जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे अधिकारियों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने निर्वाचन कार्यों से जुड़े अनुभवों और चुनौतियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।

धर्मशाला प्रवास के दौरान ज्ञानेश कुमार अपने परिवार के साथ नामग्याल मठ तथा सेंट जॉन इन द विल्डरनेस चर्च भी पहुंचे। उन्होंने यहां दर्शन कर क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त की।

दौरे के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्वाचन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अधिकारियों और कर्मचारियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने मतदाता जागरूकता बढ़ाने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और सहभागी चुनाव प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है।

मंत्रिमंडल के फैसले:करुणामूलक नियुक्तियों की समीक्षा, 400 वर्क इंस्पेक्टर और 300 डॉक्टरों की भर्ती को मंजूरी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जनकल्याण, रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में पहले अस्वीकृत किए गए करुणामूलक नियुक्ति मामलों की एकमुश्त विशेष आधार पर पुन: समीक्षा करने का निर्णय लिया, ताकि पात्र परिवारों को राहत मिल सके। इसके साथ ही सरकारी भूमि पर आवास, कृषि और बागवानी उद्देश्यों के लिए कब्जा किए हुए भूमिहीन परिवारों और सीमांत किसानों को राहत देने के लिए नियमितीकरण नीति–2026 को मंजूरी दी गई।

किसानों के हित में मंत्रिमंडल ने नई कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत भूमि नीलामी के खतरे का सामना कर रहे पात्र किसानों के तीन लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर ब्याज देनदारी का 50 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना से प्रदेश के 6,356 किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

रोजगार और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भर्ती निदेशालय के तहत 400 वर्क इंस्पेक्टर पदों के सृजन और भर्ती को मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य एवं

परिवार कल्याण विभाग में 300 चिकित्सा अधिकारी, 250 मल्टी टास्क वर्कर, 200 स्टाफ नर्स, 76 ऑपरेशन थिएटर सहायक, 36 रेडियोग्राफर और 50 लैब तकनीशियन ग्रेड–2 सहित बड़ी संख्या में पद भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 75 सहायक प्रोफेसरों के पद सृजित किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने अध्ययन अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों को पूर्ण वेतन देने तथा पूर्व में अध्ययन अवकाश ले चुके कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान करने की मंजूरी दी। 31 मार्च 2026 तक लगातार सात वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी बनाने का भी निर्णय लिया गया। जॉब ट्रेनीज़ को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

बैठक में पूर्ववर्ती हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी 80 पोस्ट कोड के विज्ञापनों को वापस लेने तथा अभ्यर्थियों को लगभग 4.27 करोड़ रुपये परीक्षा शुल्क लौटाने का निर्णय लिया गया। साथ ही हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के तीन पद भरने को भी मंजूरी दी गई।

स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट–अप योजना के चौथे चरण को मंजूरी दी गई। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ई–बस खरीदने पर 50 प्रतिशत तथा डीजल बस खरीदने पर 30 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। वहीं, चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती, प्रसंस्करण, भंडारण और परिवहन को विनियमित करने हेतु हिमाचल प्रदेश एनडीपीएस नियम, 1989 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के तहत मंडी के सरकाघाट नागरिक अस्पताल की क्षमता 100 से बढ़ाकर 150 बिस्तर करने, बद्दी नागरिक अस्पताल को 200 बिस्तरों वाले अस्पताल में उन्नत करने तथा सोलन के मानपुरा और हमीरपुर के मझेली में नई स्वास्थ्य संस्थाएं खोलने का निर्णय लिया गया। हिम केयर योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कवरेज भी बढ़ाकर 7 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक करने का फैसला लिया गया।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालकों को राहत देने के लिए ग्रेजिंग पॉलिसी–2026 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत ऑनलाइन परमिट प्रणाली विकसित की जाएगी। घरेलू उपयोग के लिए खनिज परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों की कम्पाउंडिंग फीस 4,500 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दी गई है।

मंत्रिमंडल ने कई मेलों को उच्च दर्जा प्रदान करने का भी निर्णय लिया। सोलन के शूलिनी मेला को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया, जबकि चंबा के मां शिव शक्ति जातर मेले और कांगड़ा के शिवरात्रि मेला काठगढ़ को राज्य स्तरीय मेला घोषित किया गया। इसके अलावा कई स्थानीय मेलों को जिला स्तरीय दर्जा प्रदान किया गया।

बैठक में तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए राज्य नवाचार नीति को मंजूरी दी गई, जिसके तहत वर्ष 2026 से 2028 तक दो करोड़ रुपये खर्च कर हिमाचल प्रदेश को नवाचार, उद्यमिता और स्टार्ट–अप गतिविधियों का उभरता केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सहारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संशोधित एसओपी को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

एचआरटीसी पेंशनरों को हर माह समय पर मिलेगी पेंशन:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने एचआरटीसी पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रतिनिधिमंडल से भेंट के दौरान घोषणा की कि सभी एचआरटीसी पेंशनरों को अब हर माह 7 से 10 तारीख के बीच

समयबद्ध तरीके से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार प्रत्येक माह 23 करोड़ रुपये की ग्रांट उपलब्ध करवाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध तथा उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने एचआरटीसी प्रबंधन को निर्देश दिए कि अक्तूबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त हुए उन कर्मचारियों को शीघ्र पेंशन लाभ प्रदान किए जाएं, जिनकी पेंशन अभी तक शुरू नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निपटारे के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है और इसके भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।

पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समय पर पेंशन मिलने से हजारों पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और सरकार निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सुधारात्मक कदम उठा रही है।

ढली–रामपुर फोर–लेन सड़क का सर्वे पूरा, हाटू माता रोपवे परियोजना को मिलेगी गति: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने नारकंडा दौरे के दौरान कहा कि ढली–नारकंडा –रामपुर सड़क को फोर–लेन राजमार्ग के रूप में विकसित करने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि परियोजना में सुरंग निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे भूस्खलन की समस्या कम होगी और लोगों को सुरक्षित एवं सुगम यातायात सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने हाटू माता मंदिर में पूजा–अर्चना के बाद कहा कि राज्य सरकार हाटू माता रोपवे परियोजना को नाबार्ड के तहत विकसित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना को पूरा होने में तीन से चार वर्ष लग सकते हैं, लेकिन सरकार इसे प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है। साथ ही हाटू माता सड़क के सुधार कार्यों के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है।

मुख्यमंत्री ने निर्विरोध निर्वाचित नारकंडा नगर पंचायत के लिए 50 लाख रुपये की विशेष सहायता राशि देने की घोषणा की। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों ने उनका सम्मान किया और उन्होंने नारकंडा में पौधरोपण भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी समृद्ध देव संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है और राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि बेहतर सड़क संपर्क और रोपवे जैसी परियोजनाओं से पर्यटन को नई गति मिलेगी तथा स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

एमएसएमई मंत्रालय के रैम्प कार्यक्रम से 82 उद्यमियों को मिला लाभ

शिमला/शैल। उद्योग विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के रैम्प (RAMP) कार्यक्रम के तहत बिलासपुर और सिरमौर जिलों में जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य उद्यमियों,

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और एमएसएमई इकाइयों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना तथा उन्हें सरकारी खरीद प्रणाली से जोड़ना था। कार्यक्रमों में कुल 82 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

बिलासपुर जिले के स्वारघाट में आयोजित कार्यशाला में 30 से अधिक प्रतिभागियों को डिजिटल साक्षरता, वित्तीय प्रबंधन और गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (tse) पोर्टल के उपयोग की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप बिजनेस, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन मार्केटिंग, बजट निर्माण और सरकारी ऋण योजनाओं पर विस्तार से मार्गदर्शन किया। साथ ही जेम पोर्टल पर पंजीकरण और सरकारी विभागों को उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी समझाई गई। कई महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों ने मौके पर ही जेम पोर्टल पर विक्रेता के रूप में पंजीकरण कराया।

सिरमौर जिले के पांवटा साहिब स्थित हिमाचल चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आयोजित दूसरी कार्यशाला में 52 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यहां डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन ब्रांड निर्माण, ग्राहक संपर्क और व्यवसाय विस्तार के लिए डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। विशेषज्ञों ने जेम पोर्टल के माध्यम से सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में भाग लेने के अवसरों की भी जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि डिजिटल तकनीकों को अपनाकर छोटे और ग्रामीण उद्यमी अपने उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर के बाजार तक पहुंचा सकते हैं। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रैम्प कार्यक्रम के तहत आयोजित ये कार्यशालाएं स्थानीय उद्यमियों, महिला समूहों और एमएसएमई इकाइयों को नई तकनीकों और बाजार अवसरों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन रही हैं।

प्रतिभागियों ने कार्यशालाओं को उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे उन्हें डिजिटल कारोबार, ऑनलाइन विपणन और सरकारी खरीद प्रक्रियाओं की व्यावहारिक जानकारी मिली है। ि

गुणवत्तापूर्ण आंकड़े सुशासन की कुंजी:डॉ.अभिषेक जैन

शिमला/शैल। वित्त, योजना, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने कहा कि सटीक, विश्वसनीय और समयबद्ध आंकड़े प्रभावी प्रशासन, बेहतर नीति निर्माण और समग्र विकास की आधारशिला हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में सक्रिय सहयोग देने और सही जानकारी उपलब्ध करवाने का आहवान किया।

डॉ. जैन ने अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग की गतिविधियों और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के आकलन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रमों, डिजिटल पहलों, राज्य सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना 2.0 तथा आठवीं आर्थिक जनगणना की तैयारियों की प्रगति का आकलन किया गया।

उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण आंकड़े सरकार को सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। इनके आधार पर प्रभावी नीतियां बनाई जा सकती हैं और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को आंकड़ों के सत्यापन तंत्र को मजबूत बनाने और आंकड़ा संग्रहण तथा रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में एकरूपता बनाए रखने के निर्देश दिए।

डॉ. जैन ने कहा कि वर्तमान समय में डेटा आधारित निर्णयों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सांख्यिकीय प्रणालियों, योजना निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन तंत्रों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े जुटाने के लिए आम लोगों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है और सर्वेक्षणों के दौरान सही जानकारी उपलब्ध करवाना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

बैठक में आर्थिक सलाहकार डॉ. विनोद राणा ने बताया कि विभाग कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा। इनमें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई), असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई), घरेलू पर्यटन व्यय सर्वेक्षण (डीटीईएस) तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) का 81वां दौर शामिल है।

बैठक में प्रदेश के सभी जिला सांख्यिकी अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं और सर्वेक्षण कार्यों की प्रगति से संबंधित जानकारी साझा की।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177–2805015, 94180–15015 फैक्स: 2805015

शपथ ग्रहण समारेह में परिजनों और मीडिया की रोक पर नेता प्रतिपक्ष ने उठाये सवाल

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार पर स्थानीय निकाय चुनावों के बाद जनादेश और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अपमान का आरोप लगाया है। शिमला से जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है और भाजपा को समर्थन मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हार की बौखलाहट में सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जो लोकतांत्रिक परंपराओं और जनमत के सम्मान के खिलाफ हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा जिला परिषद और ब्ल क समिति सदस्यों को लेकर दिया गया बयान जनादेश का अपमान था। इसके बाद जिला परिषद सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में परिजनों और मीडिया को प्रवेश नहीं देने का निर्णय भी इसी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के जीवन का महत्वपूर्ण अवसर होता है और परंपरागत रूप से उनके परिवार के सदस्य भी इस समारोह का हिस्सा बनते रहे हैं। यह जनप्रतिनिधियों और उनके परिवारों के लिए सम्मान और गौरव का क्षण होता है, लेकिन सरकार ने इस परंपरा को तोड़कर निर्वाचित प्रतिनिधियों का अपमान किया है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार स्थानीय निकायों और पंचायत संस्थाओं में भाजपा समर्थित निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रभावित करने के लिए प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार का उद्देश्य जिला परिषद, ब्लॉक समिति तथा स्थानीय निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के चुनावों में राजनीतिक लाभ हासिल करना है। इसके लिए भाजपा समर्थित प्रतिनिधियों पर दबाव बनाने और उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की जा रही है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश के मुखिया के रूप में जनमत का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय सरकार जनादेश को अपने पक्ष में मोड़ने के प्रयासों में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित जनप्रतिनिधियों को प्रताड़ित करने के लिए अधिकारियों को लगाया गया है और विभिन्न माध्यमों से उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस उद्देश्य से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, सरकार उसे कमजोर करने का प्रयास कर रही है।

नेता प्रतिपक्ष ने स्थानीय निकायों में अध्यक्ष पद के चुनाव की समयावधि बढ़ाने के निर्णय पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले नगर पंचायत और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सभासदों के निर्वाचन के सात दिनों के भीतर कराने का प्रावधान था, लेकिन सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए इस अवधि को बढ़ा दिया है। उनके अनुसार यह निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने और निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनावी हार को छिपाने और सत्ता का प्रभाव बनाए रखने के लिए नियमों में बदलाव कर रही है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि स्थानीय निकायों में जनता ने जिस प्रकार भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को समर्थन दिया है, उससे कांग्रेस सरकार असहज है। उन्होंने दावा किया कि सरकार जनादेश को स्वीकार करने के बजाये निर्वाचित प्रतिनिधियों पर दबाव बनाकर सत्ता समीकरण बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र और संविधान की भावना के खिलाफ बताया।

पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा जनादेश की 'चोरी' नहीं होने देगी और किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव या प्रशासनिक दुरुपयोग का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है और सरकार को उसे स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से ऊपर उठकर जनादेश का सम्मान करें और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करें।

उन्होंने सरकार से पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने की मांग करते हुए कहा कि स्थानीय निकायों और पंचायत संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिलना चाहिए।

विमल नेगी प्रकरण में सीबीआई चार्जशीट को लेकर सियासत तेज

शिमला/शैल। विमल नेगी प्रकरण में सीबीआई द्वारा अदालत में दायर चार्जशीट को लेकर प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने चार्जशीट को कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला दस्तावेज बताते हुए कहा कि इसमें सामने आये तथ्य पूरे मामले में सत्ता और प्रशासन की भूमिका पर प्रश्न खड़े करते हैं।

शिमला से जारी बयान में हर्ष महाजन ने कहा कि चार्जशीट में फर्जी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने, आधिकारिक दस्तावेजों में कथित हेरफेर, अधिकारियों पर दबाव बनाने, नियमों की अनदेखी करने और जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसे गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि जांच एजेंसी द्वारा अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों में ऐसे तथ्य दर्ज हैं तो यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि व्यापक स्तर पर जवाबदेही तय किए जाने का मामला है।

महाजन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार को अब प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आखिर नियमों को दरकिनार करने के पीछे कौन लोग थे, अधिकारियों पर कथित दबाव किसके निर्देश पर बनाया गया और दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ के आरोपों की जिम्मेदारी किसकी है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में शुरुआत से ही सच्चाई को दबाने और वास्तविक जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की गई।

भाजपा सांसद ने विशेष रूप से जांच को प्रभावित करने और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने से जुड़े आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा कि यदि साक्ष्यों को प्रभावित करने या रिकॉर्ड में बदलाव करने का प्रयास हुआ है तो यह कानून के शासन और प्रशासनिक पारदर्शिता पर सीधा हमला है। ऐसे मामलों में केवल निचले स्तर के अधिकारियों पर कारवाई कर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता।

उन्होंने कहा कि जब-जब विपक्ष ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई, तब-तब सरकार ने मामले को हल्के में लेने या उसका राजनीतिक असर कम करने की कोशिश की। अब सीबीआई चार्जशीट ने उन आशंकाओं को और बल दिया है जिन्हें भाजपा लगातार उठाती रही है। महाजन ने कहा कि जनता यह जानना चाहती है कि इस पूरे मामले में किन लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया और इसके लिए किस स्तर तक नियमों को नजरअंदाज किया गया।

हर्ष महाजन ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में प्रशासनिक, राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर जुड़े सभी व्यक्तियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कारवाई की जानी चाहिए, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो।

उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या चार्जशीट में सामने आए तथ्यों के बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कारवाई की जाएगी या फिर उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा।

35 दिन चली हिमाचल

.....पृष्ठ 1 का शेष

सभा से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए। सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए भी नया कानून बनाया गया। राज्य सरकार ने नशे की समस्या से निपटने और नशे के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए भी कानून पारित किया।

महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर देने के लिए हिमाचल प्रदेश ने दुकानदार एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कानून में संशोधन किया। इसके तहत महिलाओं को रात्रिकालीन शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई और ओवरटाइम की सीमा भी बढ़ाई गई। ऐसे बदलाव करने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश भी शामिल रहा।

बजट पर चर्चा के मामले में रिपोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखे हैं। राज्यों ने औसतन अपने बजट पर आठ दिन चर्चा की, जबकि हिमाचल प्रदेश में बजट पर सात दिन चर्चा हुई। हालांकि इसके बावजूद राज्य का 70 प्रतिशत से अधिक बजट बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। इस मामले में हिमाचल प्रदेश, असम और झारखंड उन राज्यों में शामिल रहे जहां बजट का बड़ा हिस्सा बिना बहस के मंजूर किया गया। वहीं तमिलनाडु ऐसा राज्य रहा जहां पूरे बजट पर चर्चा की गई।

पीआरएस की रिपोर्ट से साफ है कि हिमाचल विधानसभा ने तय बैठक दिवस पूरे किए और कई महत्वपूर्ण कानून बनाए। लेकिन बड़ी संख्या में बिलों का जल्दी पास होना और बजट के बड़े हिस्से का बिना चर्चा पारित होना इस बात की ओर भी संकेत करता है कि विधानसभा में महत्वपूर्ण मुद्दों पर और अधिक विस्तृत चर्चा की गुंजाइश बनी हुई है।